भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. | Rs 10000

दस हजार रुपये | RUPEES TEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तरांचल UTTARANCHAL 029799

विक्रय पत्र मु0 800000/- रूपये।

स्टाम्प शुल्क हेतु मालियत 1017000/—रूपये।

विक्रीत भूमि का क्षेत्रफल **1265.62**वर्गफुट यानी 117.52वर्गमीटर।

सर्किल दरसर्किल रेट के पृष्ठ 8 वार्ड न0 7 के कमॉक 1 के अनुसार 8000/-- रूपये प्रति वर्गमीटर से मालियत 941000/—रू0 कवर्ड एरिया 46.95वर्गमीटर कवर्ड दर 4500/—रू प्रति वर्गमीटर से ह्रास मूल्य काटकर 1647/—रू0 प्रतिवर्ग मीटर से मालियत 76000/—रू0। सम्पत्ति लगभग 100 वर्ष पुरानी बनी है। निर्माण श्रेणी 2 का है। आवास एवं विकास शुल्क के अन्तर्गत है। स्टाम्प शुल्क 101700/—रूपये। स्थित निरंजनी अखाडा हरिद्वार परगना ज्वालापुर

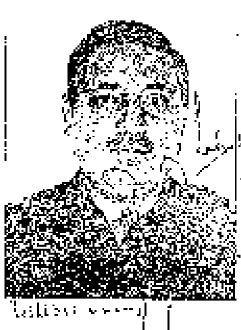

[illegible]

[illegible] 10,000/-

5000/- [illegible] 50/- [illegible] 20/- [illegible]

[illegible] प्रसाद पुत्र गोविन्द प्रसाद

[illegible]

21-12-05 [illegible]

[illegible]

12-05

[illegible]

[illegible]

[illegible] गोविन्द प्रसाद [illegible]

[illegible]

7200

10000 रु. भारतीय गैर न्यायिक Rs.10000

दस हजार रुपये RUPEES TEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तरांचल UTTARANCHAL

तहसील व जिला हरिद्वार अन्दर सीमा नगर पालिका समिति हरिद्वार है। मुख्य सड़क से लगभग 150मीटर की दूरी पर है।

मै कि श्री सिद्धार्थ प्रसाद पुत्र स्व0 श्री गोविन्द प्रसाद निवासी के--94 हौज खास एन्क्लेव नई दिल्ली बहैसियत मु0आम नि0 श्री तीरथ राम अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री पुरुषोत्तम दास अग्रवाल निवासी 9 ए0पी0सेन रोड़ लखनऊ व श्री कमल किशोर अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री पुरुषोत्तम दास अग्रवाल निवासी 9 ए0पी0सेन रोड़ लखनऊ व श्री विजय किशोर अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री पुरुषोत्तम दास अग्रवाल निवासी 9 ए0पी0सेन रोड़ लखनऊ व श्रीमती निर्मला अग्रवाल पत्नी स्व0 श्री राजेन्द्र किशोर अग्रवाल निवासी 9 ए0पी0सेन रोड लखनऊ व श्री गौतम अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री राजेन्द्र किशोर अग्रवाल निवासी 9

साक्षी [illegible] समक्ष होते हुये अंगुष्ठ
चिन्ह [illegible] निशानानुसार
किये गये।

10000 रु. INDIA NON JUDICIAL Rs.10000

भारत INDIA

दस हजार रुपये

उत्तरांचल UTTARANCHAL 029753

९०पी०सेन रोड लखनऊ व श्री [illegible] अग्रवाल पुत्र श्री स्व० राजेन्द्र किशोर अग्रवाल निवासी ९९०पी०सेन रोड लखनऊ मुख्तारआम दिनांकित 9–9–05 जिसकी रजिस्टरी बुक नं0 4 जिल्द 1202 के पृष्ठ 15/17 दिनांकित 9–9–05 मे नं0 1965पर सब रजिस्टार 7 न्यू देहली हुई है का हूँ।

विदित हो कि मैं विक्रेता निम्नलिखित सम्पत्ति का स्वामी व अधिकारी हूँ। निम्न लिखित सम्पत्ति आज तक हर प्रकार के ऋण परिवर्तन आदि के भार से शुद्ध एवं मुक्त है कही पर आड रहन या बन्धक नहीं है। और न ही निम्न लिखितसम्पत्ति को बन्धक करके कोई ऋण आदि किसी महकमे बैंक कम्पनी सोसायटी आदि से लिया हुआ है। मै विक्रेता निम्न लिखित सम्पत्ति के विक्रय करने मे पूर्ण रूप से

10000 रु.

Rs.10000

INDIA NON JUDICIAL

उत्तरांचल UTTARANCHAL

025787

सक्षम हूँ। अब अपनी स्वस्थ इन्द्रियों तथा स्थिर बुद्धि की अवस्था में अपनी इच्छा व प्रसन्नता से मैं हर प्रकार के स्वत्व व अधिकारों के बदले मु0 800000/- आठ लाख रुपये में मैसर्स प्रसाद हेरीटेज प्रोजैक्ट प्रा0 लि0 6 रजिस्टर्ड ऑफिस शाहनजफ रोड लखनऊ द्वारा डायरेक्टर श्री राहुल प्रसाद पुत्र स्व0 श्री गोविन्द प्रसाद निवासी 6-शाहनजफ रोड लखनऊ के हक में विक्रय व हस्तान्तरित कर दी है और कुल मूल्यराशि निम्न प्रकार प्राप्त कर ली है तत्पश्चात इसके कुल मूल्य राशि क्रेता के जिम्मे शेष नहीं रही है और न ही भविष्य में होगी। कब्जा व दखल क्रेता महोदय का वास्तविक व वाकई मौके पर निम्न लिखितसम्पत्ति पर करा दिया है और अपना कब्जा हर प्रकार से हटा लिया है। अब प्रतिज्ञा वचन देते हैं और

10000 रु.

INDIA NON JUDICIAL

उत्तरांचल UTTARANCHAL

प्रतिज्ञा करते हैं। कि क्रेता महोदय निम्नलिखित सम्पत्ति पर अपना समस्त अधिकार स्वामित्व सहित कब्जे लाभ हर प्रकार से प्राप्त करें, हर प्रकार से अपना भोग व प्रयोग में लाये और जो चाहे सो करें, अब प्रतिज्ञागण तथा उसके उत्तराधिकारियों को विक्रय की हुई निम्नलिखित सम्पत्ति तथा उसकी मूल्य राशि से कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का शेष नहीं रहा और ना ही भविष्य में होगा। यदि बाद में किसी त्रुटि कानूनी के कारण या किसी के वाद विवाद करने पर उक्त सम्पत्ति कुल व उसका कोई अंश कब्जा या दखल क्रेता उक्त से निकल जाये तो क्रेता को अधिकार होगा कि वह अपनी कुल या उसका कोई अंश मूल्य राशि मुझ प्रतिज्ञा से या मेरी जात खास या जायदाद से मय ब्याज व हर्जे खर्चे सहित वसूल कर लेवे। इसमें हम विक्रेतागण या हमारे वारसान

उत्तरांचल UTTARANCHAL

को कोई असर नही होगा। नीज विक्रेतागण उन तमाम शर्तो जिम्मेदारीयों का जो कि रूबरू कानून एक क्रेता पर आयद होती है, का पूरा पूरा पाबन्द व जिम्मेदार होगा व रहेगा।

उल्लेखनीय है कि विक्रयगत सम्पत्ति प्रसिद्ध नाम लाहौर हाउस जिसका नक्शा नजरी संलग्न है निम्नलिखित सम्पत्ति विक्रेता का अपने स्व0 पिता श्री पुरुषोत्तम दास अग्रवाल की मृत्यु के पश्चात प्राप्त हुई है तथा स्व0 श्री पुरुषोत्तम दास अग्रवाल उक्त सम्पत्ति में 3/32 के स्वामी व अधिकारी थे जिनके छः पुत्र व पत्नी श्रीमती पद्मावती थी और उन सब को 3/224 हिस्सा बराबर बराबर मिला श्रीमती पद्मावती की मृत्यु के पश्चात उनका हिस्सा 3/224 था वह उनके छः पुत्रों मे बराबर विभाजित हो गया इस प्रकार उक्त सम्पत्ति में

100 रु.

10000 रु.

INDIA NON JUDICIAL

उत्तरांचल UTTARANCHAL C 92506

विक्रेतागण का कुल 1/16भाग हो गया। तथा तदानुसार विक्रेता को विषयगत सम्पत्ति के हस्तांतरण, विक्रय आदि की बावत पूर्ण अधिकार प्राप्त है। कुल क्रय राशि रु0 800000/–रू0 आठ लाख रुपये में विक्रेता द्वारा क्रेता से निम्नलिखित चैक द्वारा प्राप्त कर लिये है। तथा विक्रेता द्वारा अपने हिस्से कि अविभक्त धनराशि प्राप्त कर ली है। कब्जा तदानुसार मौके पर क्रेता का करा दिया है तथा क्रेता को विषयगत सम्पत्ति कि बाबत स्वामित्व के कुल अधिकार एवं सुखाधिकार प्राप्त हो गये है। क्रेता एवं विक्रेता के मध्य उक्त सम्पत्ति की बाबत कोई रजिस्टर्ड इकरारनामा नहीं हुआ है। उक्त सम्पत्ति पर उत्तरांचल भू-अधिनियम 29/2003 लागू नहीं है। उक्त सम्पत्ति धार्मिक संस्था व ट्रस्ट कि नहीं है। विवरण प्राप्त भुगतान:– कुल विक्रेता ने कुल

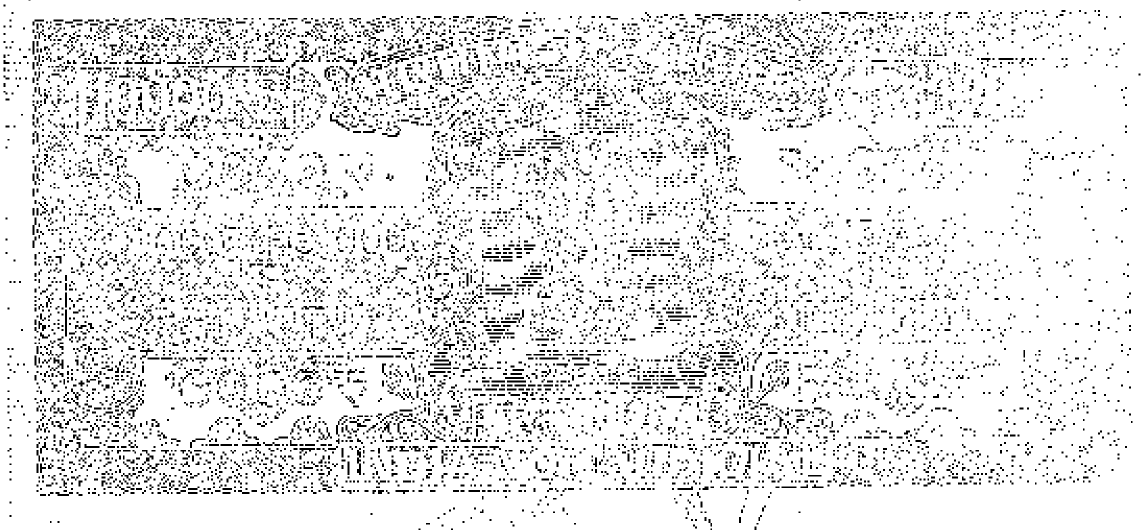

मूल्य राशि कुल 800000/-रू0 आठ लाख रूपये द्वारा चैक नं0 311841 मु0 2,00000/-रू0 दिनांकीत 9-6-2005 व चैक नं0 311842 मु0 2,00000/-रू0 दिनांकीत 9-6-05 व चैक नं0 311843 मु0 2,00000/-रू0 दिनांकीत 9-6-05 व चैक नं0 311844 मु0 66,666/-रू0 दिनांकीत 9-6-05 व चैक नं0 311845 मु0 66,667/-रू0 दिनांकीत 9-6-05 व चैक नं0 311846 मु0 66,667/-रू0 दिनांकीत 9-6-05 कुल छः चैक आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक [illegible] प्राप्त कर लिये है।

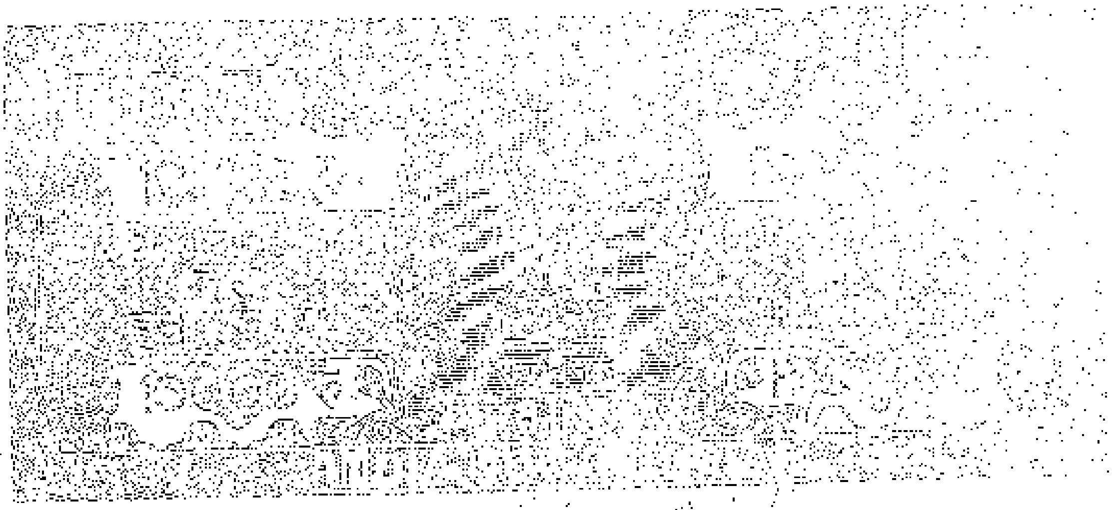

[illegible]

[illegible] सम्पत्ति--

एक किता सम्पत्ति अर्थात [illegible] [illegible] स्थित [illegible] [illegible] हरिद्वार परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार अन्दर [illegible] पालिका समिति हरिद्वार है। जिसका नक्शा नजरी इस विक्रय पत्र के साथ संलग्न है जिसका कुल क्षेत्रफल 2028.00 वर्गफुट या [illegible]

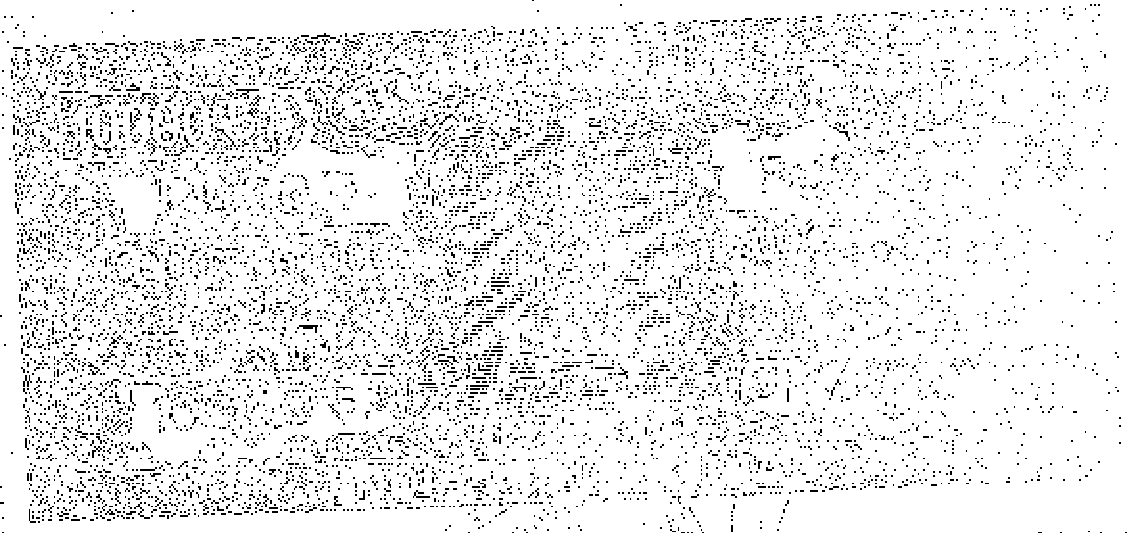

सहायक UTTARAKHAND [illegible]

1/18 भाग यानी जिसका निर्मित क्षेत्रफल 1285.82 वर्गफुट यानी [illegible]
वर्गमीटर है। तथा जिसका कुल कवर्ड एरिया 778.70 वर्गमीटर [illegible]
का 1/18 भाग यानी 46.05 वर्गमीटर है शेष खुला भाग है। [illegible]

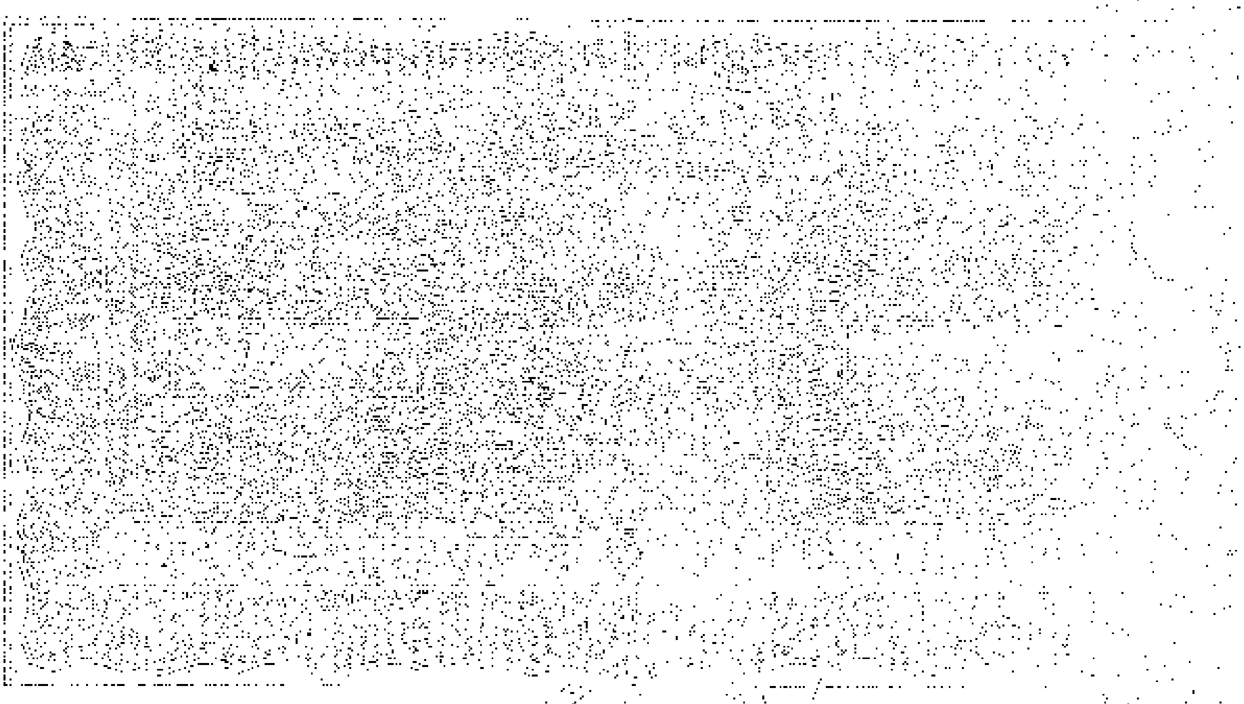

[illegible] इस पत्रक पर संलग्न फोटो [illegible] [illegible] [illegible]

भूमि को नक्शा के रूप में हैं [illegible] की भूमि व [illegible] की [illegible]

भी उपरोक्त सम्पत्ति के साथ हैं। जिसके पूरब में [illegible] [illegible]

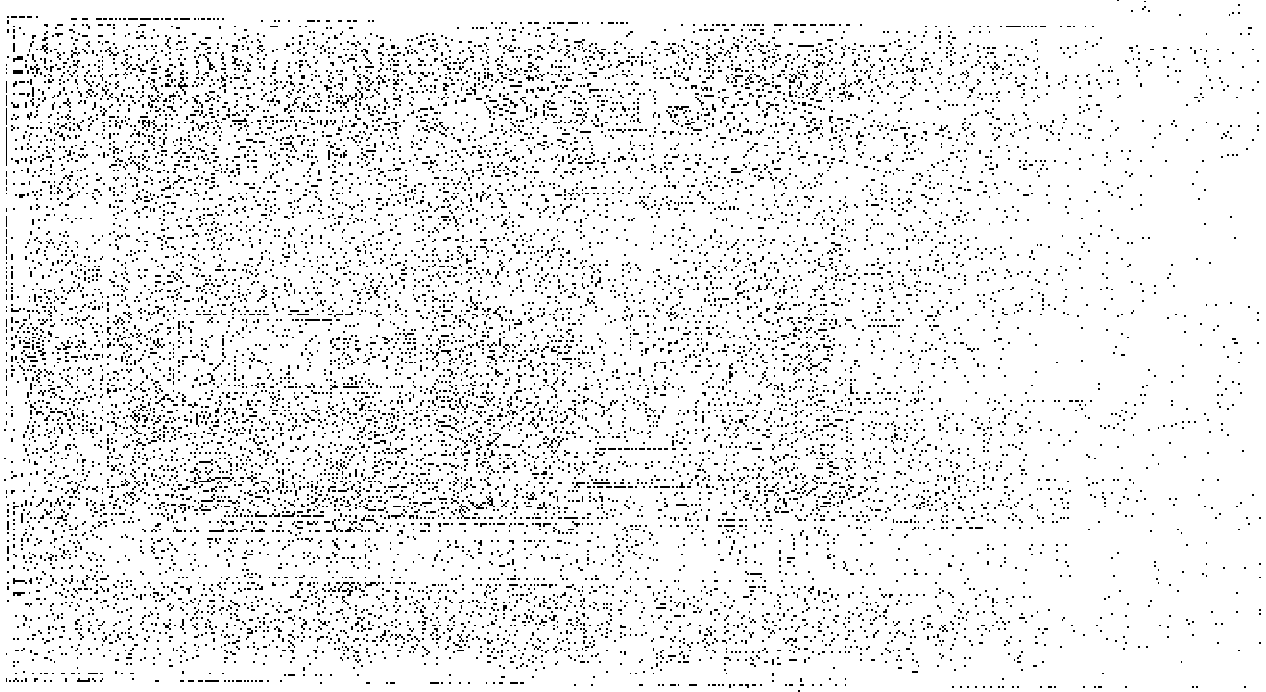

-2-

[illegible] में [illegible] अधिशासी [illegible] के [illegible]
फोटो [illegible] है। [illegible] में [illegible]
32/ [illegible] है।

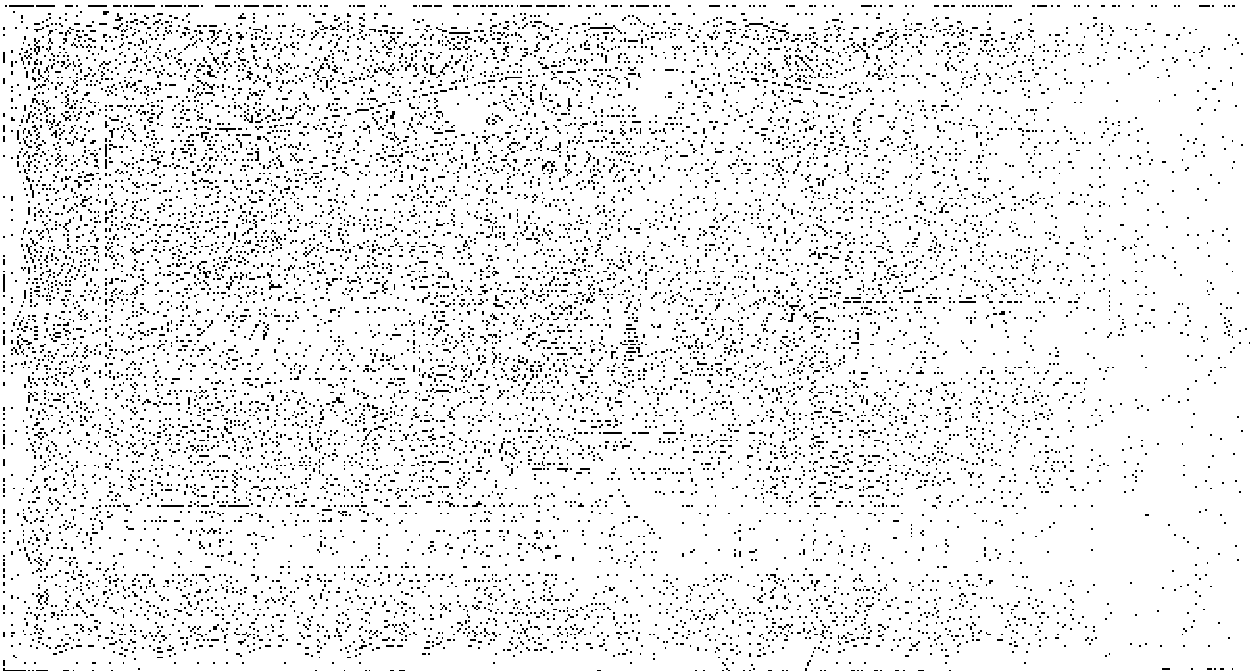

[illegible]

अतः यह [illegible]

जाती है।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]   [illegible]